न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—179/2025/225 आर.टी.एक्ट (2025/179)

1. मधुसूदन पाराशर पुत्र श्री शिवप्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बडा गवाडा, बडी बस्ती पुष्कर जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. औंकार पुत्र स्व0 श्री रंगलाल जाति गुर्जर निवासी चाचियावास तहसील अजमेर।
2. हरदेव उर्फ बोदू पुत्र स्व0 श्री रंगलाल जाति गुर्जर निवासी चाचियावास तहसील अजमेर।
3. मगना पुत्र स्व0 श्री रंगलाल जाति गुर्जर निवासी चाचियावास तहसील अजमेर।
4. श्रीमती लाडा पत्नी स्व0 श्री रंगलाल जाति गुर्जर निवासी चाचियावास तहसील अजमेर।
5. सीकर प्लेसमेंट कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्रा0लि0 जरिए डायरेक्टर श्री आर0पी0 अग्रवाल डी—52 अम्बाबाडी जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
6. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम चाचियावास तहसील अजमेर।
7. श्रीमती नन्दू पत्नी श्री प्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास तहसील अजमेर।
8. रामकरण पुत्र श्री प्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास तहसील अजमेर।
9. देवकरण पुत्र श्री प्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास तहसील अजमेर।
10. लक्ष्मण पुत्र श्री प्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास तहसील अजमेर।
11. हेमा पुत्र श्री प्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास तहसील अजमेर।
12. श्रीमती भंवरी पुत्री स्व0 रंगलाल पत्नी श्री देवाराम जाति गुर्जर निवासी चाचियावास तहसील अजमेर हाल निवासी ग्राम नारेली तहसील व जिला अजमेर।
13. श्रीमती सुवा पुत्री स्व0 रंगलाल पत्नी श्री दयाल जाति गुर्जर निवासी चाचियावास तहसील अजमेर हाल निवासी ग्राम नारेली तहसील व जिला अजमेर।
14. श्रीमती गंगा उर्फ पूतर पुत्री स्व0 रंगलाल पत्नी श्री लालाराम जाति गुर्जर निवासी चाचियावास तहसील अजमेर हाल निवासी ग्राम नारेली तहसील व जिला अजमेर।
15. उप—पंजीयक प्रथम पंजीयन विभाग, जयपुर रोड अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 27.06.2023 न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु0) अजमेर राजस्व वाद संख्या 67/2012

उपस्थितः—

1. श्री सी0पी पाराशर अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जी0एस0लखावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 15

निर्णय

दिनांकः—09.07.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर(मु0) अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 67/2012 में पारित आदेश दिनांक 27.06.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो० संख्या 12 से 14 की ओर से एक वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर मु० अजमेर के समक्ष धारा अंतर्गत 88, 91, 92 ए. 188 आरटी एक्ट के तहत विरुद्ध रेस्पो. नंबर 1 से 11 व 15 के प्रस्तुत किया। यहां यह कहना उल्लेखनीय होगा कि उक्त वाद के विचाराधीन रहते रेस्पो. नंबर 12 लगायत 14 ने अपीलांट के पक्ष में वाद में निहित वर्णित आराजी का फुल सेल एग्रीमेंट दिनांक 04/12/2014 को निष्पादित कर बेचान कर दिया और आराजी पर उनके हक व हिस्से का कब्जा संभलवा दिया और अपीलांट को इस बात के लिये स्पष्ट किया कि वाद के अंतिम निर्णय होने के बाद विक्रय पत्र का पंजीयन करवा देंगे। उक्त संपूर्ण कार्यवाही होने के बाद प्रार्थी जो वर्ष 2014 से काबिज होकर आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है, को मुगालते में रखकर वाद में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27/06/2023 को प्रतिवादी नंबर 5 व 6 से साजिसाना साजकर समझौता दिखाते हुए वाद को विड्रो कर लिया जबकि वादीगण को वाद विड्रो करने का कोई हक व अधिकार नहीं था क्योंकि वह अपना हक व अधिकार अपीलांट के पक्ष में निष्पादित कर सके थे और अपीलांट से प्रतिफल स्वरूप राशि प्राप्त कर चुके थे। सारी कार्यवाही वादी व प्रतिवादी नंबर 5 व 6 द्वारा मिल्लत करके की गई और अपीलांट को अधिकारों से महरूम करने के बराबर की गई। यहां यह कहना उल्लेखनीय होगा कि अपीलांट के पक्ष में रेस्पो0 संख्या 12 से 14 ने प्रकरण में मुकदमे की पैरवी करने हेतु मुख्त्यारनामा निष्पादित किया हुआ था जिसके आधार पर अपीलांट ने अपने अभिभाषक विकास पाराशर को वकालतनामा दिया हुआ था। अपीलांट के अभिभाषक ने वकालतनामा दिनांक 08/09/2015 को प्रस्तुत भी कर दिया था किन्तु विपक्षी द्वारा सारी कार्यवाही मिल्लत कर पत्रावली में से वकालतनामा हटा दिया गया और बिना अपीलांट के अभिभाषक से एनओसी लिये दूसरे अभिभाषक ने वाद को विड्रो कर लिया। चूंकि सारी कार्यवाही अपीलांट को अपने हक व अधिकारों से महरूम करने के लिये की गई। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर(मु0) अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 67/2012 में पारित आदेश दिनांक 27.06.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 सीपीसी पर निवदेन किया कि प्रार्थी ने न्यायालय में जरिये मुख्त्यारनामा अपना अभिभाषक नियुक्त किया हुआ था किन्तु प्रार्थी के अभिभाषक को तहत न्यायालय ने आदेश पारित करते समय नहीं सुना। प्रार्थी के पक्ष में जारी मुख्त्यारनामा आज तक कैंसिल नहीं किया गया है। प्रार्थी के पक्ष में वादिया द्वारा फुल सेल एग्रीमेंट निष्पादित किया हुआ था जो तहत न्यायालय की पत्रावली में शामिल मिसल था। किन्तु तहत न्यायालय ने उक्त दस्तावेज को देखे बिना ही वाद का निस्तारण कर दिया। प्रार्थी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है और उक्त आदेश से प्रार्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त आदेश को चुनौती देने के लिये धारा 96 सीपीसी के तहत इजाजत प्रदान किया जाना न्यायोचित है। यदि प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान नहीं की गई तो प्रार्थी अपने हक, अधिकारों व न्याय से वंचित हो जाएगा तथा प्रार्थी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कथन जो अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही से सबंधित है तथा वर्तमान अपीलकर्ता न तो विचारण न्यायालय में पक्षकार था, न ही उसे पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता थी, तो उसके द्वारा प्रार्थना पत्र के इस चरण में किया गया कथन पूर्णतया असत्य है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कथन जिस प्रकार से अंकित किया गया है असत्य है तथा सहायक कलक्टर मु० अजमेर द्वारा दिनांक 27.6.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध वर्तमान अपीलकर्ता को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है तथा जब विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने वाले वादीगण खातेदार ही नहीं थे, तो उनके द्वारा किसी प्रकार का न तो एग्रीमेन्ट किया जा सकता था न ही ऐसे एग्रीमेन्ट के आधार पर किसी प्रकार के अधिकारों का हस्तान्तरण होता है, न ही वर्तमान अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित कथन जिस प्रकार से अंकित किया है पूर्णतया गलत है न तो वर्तमान अपीलकर्ता अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित वाद में आवश्यक पक्षकार था, न ही उसका कोई विधिपूर्ण हक, अधिकार अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण के लम्बित रहते सृजित हुआ, विचारण न्यायालय द्वारा 27.6.2023 को वाद विड्रो किए जाने का आदेश पारित करने से अपीलकर्ता को वर्तमान अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित कथन जिस प्रकार से अंकित किया है वह असत्य होने से अस्वीकार है। वर्तमान अपीलकर्ता का आदेश दिनांक 27.6.2023 को चुनौति देने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 का

निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 में कथन किया गया कि प्रार्थी ने जरिए मुख्त्यारनामा अपना अभिभाषक नियुक्त किया हुआ था किंतु प्रार्थी के अभिभाषक को न्यायालय ने आदेश पारित करते समय नहीं सुना। प्रार्थी के पक्ष में जारी मुख्त्यारनामा आज तक कैंसिल नहीं किया गया है। प्रार्थी के पक्ष में वादिया द्वारा फुल सेल एग्रीमेंट निष्पादित किया हुआ था जो न्यायालय की पत्रावली में शामिल मिसल था, किंतु न्यायालय ने उक्त दस्तावेज को देखे बिना ही वाद का निस्तारण कर दिया।

प्रार्थी द्वारा कहे गए कथनों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से न्यायालय हाजा का यह मत है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 67/2012 में पक्षकार संयोजित नहीं था। जबकि उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उन्होंने अपना अभिभाषक नियुक्त किया हुआ था, यदि ऐसा था तो उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में पक्षकार क्यों नहीं संयोजित किया गया। यदि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार हीं नहीं थे तो किस आधार पर उनके हक अधिकार प्रभावित हो रहे है या वे उक्त आदेश से किस प्रकार पीडित है। चूंकि यह वादी पर निर्भर करता है कि यदि वह किसी प्रकार से पीडित है तो न्यायालय के समक्ष वाद दायर कर अपना उपचार मांग सकता है, और यदि किसी कारण से उसे जरिए राजीनामा या आपसी समझौते से चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो जाता है तो वह अपने स्वविवेक से उक्त वाद को विड्रो कर सकता है। उक्त प्रकरण में वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 12 से 14 व रेस्पोडेंट संख्या 1 के मध्य लोक अदालत की भावना से समझौता हो गया था तो उक्त वाद को वादी द्वारा विड्रो कर लिया गया। जिसमें किसी प्रकार की कोई न्यायिक त्रुटि नहीं है।

अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 12 से 14 के मध्य एक इकरारनामा दिनांक 5.12.2014 का किया हुआ है जो कि पंजीकृत नहीं है केवल नोटेरीकृत है। जिसके आधार पर अपीलांट को किसी भी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है, अपीलांट इस बाबत सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। चूंकि अपीलांट उक्त विवादित आराजीयात का राजस्व रिकार्ड में खातेदार/काश्तकार दर्ज नहीं है ना ही वे उक्त आराजीयात के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित थे तो अपीलांट के उक्त आराजीयात बाबत किस प्रकार से हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, इस बाबत अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष यह साबित नहीं कर पाए है, केवल इकरारनामें के आधार पर अपीलांट को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के मध्य आपसी राजीनामे से पारित आदेश दिनांक 27.6.2023 का है, जिसमें अपीलांट पक्षकार ही नहीं सृजित थे तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से उनके किस प्रकार से हित प्रभावित हुए है या वह किस प्रकार से उक्त प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में आते है। इस बाबत अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से वह बताने में असमर्थ रहे है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.6.2023 में अपीलांट पक्षकार ही नहीं थे तो वे उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं है। चूंकि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 में ऐसे कोई समुचित कारण अंकित नहीं किए है जिससे वह पीडित व व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आते हो।

अतः अपीलांट का प्रस्तुत अपील में किसी भी तरह से विधिक अधिकार नहीं होने से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी.खारिज कर उन्हें उक्त प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं कर अपील प्रस्तुतीकरण की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।

6. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर(मु0) अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 67/2012 में पारित आदेश दिनांक 27.06.2023 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर